न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –04 / 2013 (आव0व0अधि0)

GCMS NO. 2013/00063

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र उदा गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम रांवठा पंचायत भंवरिया तहसील लाडपुरा ।
2. श्री रमेशचन्द गुर्जर पुत्र रामचन्द्र गुर्जर निवासी ग्राम रांवठा ग्राम पंचायत भंवरिया तहसील लाडपुरा ।
3. श्री सुल्तान सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी दुरपुराखेड़ा थाना डग जिला झालावाड वाहन चालक ।

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 28.07.2021

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्रीमति संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किदिनांक 19.8.2013 को पुलिस थाना मण्डाना से गेहूं से भरे ट्रक को रोके जाने एवं इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं होने की सूचना प्राप्त होने पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा के निर्देश पर पुलिस थाना मण्डाना पहुंच कर जांच की गई । पुलिस थाना मण्डाना में एक ट्रक रजि0 नं0 RJ-20GA 6042 खड़ा हुआ मिला जिसमें खुले में गेहूं भरा हुआ पाया । ट्रक ड्राइवर वाहन रजि0 नं0 RJ-20GA 6042 o ट्रक में मौजूद मिले मजदूरों से पूछताछ करने पर उक्त ट्रक में गेहूं को ग्राम रांवठा के श्री रमेशचन्द गुर्जर के यहां से भरना बताया । श्री रमेशचन्द्र को ग्राम रावंठा के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामचन्द्र गुर्जर का पुत्र बताया है । उक्त गेहूं को ग्राम रांवठा से कोटा मण्डी में विक्रय हेतु ले जाना बताया । मौके पर गेहूं के मालिकाना हक के बाबत कोई दस्तावेज अथवा सबूत नहीं होने , गेहूं को रात्रि में भरकर बेचने ले जाने एवं उक्त गेहूं को ीलर के पुत्र के यहां से भरकर ले जाने संबंधी तथ्य सम्मुख आने पर उक्त गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बीपीएल, एसबीपीएल व अन्त्योदय परिवारों को वितरित किए जाने वाले गेहूं के होने व उसकी कालाबाजारी करने हेतु ले जाने से मौका परिस्थितियों में इन्कार नहीं किया जा सकता था । दिनांक 19.8.2013 को ही श्री रमेशचन्द गुर्जर के घर में स्थित दुकान एवं ग्राम रांवठा के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामचन्द्र की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया एवं उचित मूल्य की दुकान के बीपीएल एसबीपीएल व अन्त्योदय योजना के गेहूं के माह मई 2013 जून 2013 के वितरण रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर वास्ते जांच लिए गए । श्री रमेशचनद गुर्जर की दुकान / घर जहां से गेहूं भरा गया था वहां पर भारतीय खाद्य निगम की मार्का के कुछ कट्टे बिखरे मिले । जिससे यह सत्यापित होता है कि श्री रमेशचन्द द्वारा अपने पिता श्री रामचन्द्र गुर्जर की उचित मूल्य की दुकान का

जिला कलेक्टर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्डों पर वितरित होने वाले गेहूं को भारतीय खाद्य निगम के कट्टों मे से खोल कर ट्रक में भरकर कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था । इस कारण मौके पर उक्त ट्रक RJ-20GA 6042 में भण्डारित गेहूं को मय ट्रक के जब्त किया गया एवं मौके पर ही पुलिस थाना मण्डाना के मालखाना इन्चार्ज श्री भंवरलाल की सुपुर्दगी मे दिया गया । किन्तु गेहूं के खराब होने की आशंका के चलते दिनांक 22.8.2013 को पुनः पुलिस थाना मण्डाना जाकर गेहूं की सुपुर्दगी परिवर्तित ति की गई उक्त गेहूं पुलिस थाना मण्डाना की वुपुर्दगी से लेकर श्री अब्दुल बशीर पठान व्यवस्थापक गोपालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति की सुपुर्दगी में तुलवाकर दिया गया । गेहूं की मात्रा 69.80 क्विं है । इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार श्री रामचन्द्र गुर्जर व उसके पुत्र श्री रमेशचन्द्र द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को कालाबाजारी की नियत से परिवहन करके ले जाने का कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11, 17 (C) व 18 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के खण्ड 6(4) का स्पष्ठ उल्लंघन है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जप्तशुदा गेहूं मात्रा 59.80 क्विं0 को मय ट्रक रजि0 नं0 RJ-20GA 6042 को राजसात करने के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त, तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री आनन्द का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दिनांक 18.2.2020 से लगातार अनुपस्थित चल रहे है ओर ना ही नोटिस का अब तक जवाब पेश किया है । अप्रार्थी संख्या 3 के बताये पते पर नोटिस भिजवाने पर थानाधिकारी थाना डग जिला झालावाड द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.9.2015 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस अनुसार थाना डग के डूरपुराखेडा नाम का कोई गांव नहीं है तथा दर्यावपुरा नाम का गांव होना बताया गया है जिसमें इस नाम का अप्रार्थी संख्या 3 सुल्तान सिंह पुत्र रतनसिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं होना बताते हुए नोटिस अदम तामिल भिजवाया गया । अतः वकील अप्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा पूछताछ के दौरान स्वयं का पता गलत बताए जाने से नोटिस तामिल नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ट्रक को जमानत पर छोड़ा जा चुका है तथा उक्त जब्तसुदा गेहूं के भी अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 27.8.2013 से दिये जा चुके है । अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी काफी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे है ओर ना ही अब तक नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा गेहूं राजसात किया जाना फरमावें ।

4. हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया, जिससे जाहिर होता है कि ट्रक रजि0 नं0 RJ-20GA 6042 में पाये गये गेहूं 59.80 क्विं0 जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण का होने से दिनांक 19.8.2013 को जप्त किया गया तथा उक्त गेहूं रामचन्द्र गुर्जर उचित मूल्य दुकान का होना पाया जाने पर इस न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में ना तो जवाब प्रस्तुत किया गया ओर ना ही दौराने बहस उपस्थित हुए जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त जप्तशुदा गेहूं 59.80 क्विं0 जो रामचन्द्र उचित मूल्य दुकानदार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत बीपीएल, एसबीपीएल व अन्त्योदय परिवारों को वितरित किया जाने

जिला कलेक्टर
कोटा

वाला गेंहू होना पाया जाता है । उचित मूल्य दुकानदार श्री रामचन्द्र गुर्जर व उसके पुत्र श्री रमेशचन्द्र का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11, 17 (C) व 18 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के खण्ड 6(4) का स्पष्ठ उल्लंघन है ।

5- अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जप्तशुदा गेहूं मात्रा 59.80 क्विं0 को राजसात (Confiscation) किये जाने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा